

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-1) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/2013-14/5213

जयपुर, दिनांक : 01/5/17

**आदेश**

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अध्याय 1 के नियम 2 का उप नियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**नियम-2 (iv)** - पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है -

**वृद्धावस्था पेंशन -**

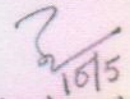
- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को  | रु 500/- प्रति माह |
| 2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को | रु 750/- प्रति माह |

**विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन -**

- |                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. 18 वर्ष या अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को | रु 500/- प्रति माह  |
| 2. 60 वर्ष या अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को | रु 1000/- प्रति माह |
| 3. 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को                | रु 1500/- प्रति माह |

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161700584 दिनांक 04.05.2017 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होगा।

  
(अशोक जैन)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव